राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प06(1)राज-6/2014/पार्ट-1/4 जयपुर,दिनांक- 05.05.2017

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः- राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 के दौरान उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के कर्तव्य पालन बाबत।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि राज्य में दिनांक 08.05.2017 से 31.07.2017 तक राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्व मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाना है।

कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उनके जिले में अनेक जगह उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के पद रिक्त है तथा उन पदों का कार्यभार अतिरिक्त रूप से उनके समकक्ष अधिकारियों को दिया हुआ है। यहा यह प्रश्न उठाया गया है कि अतिरिक्त रूप से कार्य संभाल रहे अधिकारियों द्वारा राजस्व न्यायालयों के कर्तव्यों को निर्वहन कराया जा सकता है अथवा नही ?

उपरोक्त बिन्दु के समाधान हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 सुसंगत है। धारा 28 में स्थायी रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से Suceed करने वाले अधिकारी के कार्य बाबत प्रावधान उपबंधित है। इसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार का पद स्थायी रूप से रिक्त होने के फलस्वरूप कोई अधिकारी उपखण्ड अथवा तहसील जैसी भी स्थिति हो, अस्थाई रूप से उस पद पर Suceed करता है तो ऐसे अधिकारी से राजस्थान में लागू किसी विधि द्वारा उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर आरोपित समस्त कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है कि स्थाई रिक्त पदों पर कार्यरत ऐसे अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार के कर्तव्यों के पालन में राजस्व मामलों को निस्तारित करने हेतु अधिकृत है।

भवदीय,

(पी0एस0 बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व विभाग (स्वतन्त्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
9. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

acer/D/lalit/ईमेल **(dsrevenue6@gmail.com)**

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज–6/2014/पार्ट–1/14 जयपुर, दिनांकः–05.05.2017

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 5 (21) राज–4/80/35 दिनांक 04.09.1982 यथा संशोधित अधिसूचनां क्रमांक प. 5 (21) राज–4/80/18 दिनांक 25.07.2003 के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचनां दिनांक 08.05.2017 से 31.07.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी. एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 05.05.2017 में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज–6/2014/पार्ट–1/15 जयपुर, दिनांकः–05.05.2017

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर्स द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचनां दिनांक 08.05.2017 से 31.07.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

5/5/17

(पी. एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 05.05.2017 में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

5/5/17

संयुक्त शासन सचिव